न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 117/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1कांतिलाल 2जगदीश 3लीलाधर पुत्रान छोटाराम जातियान खाती निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा		1.राज.सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। 2.पटवारी हल्का, मुण्डवा।

उपस्थिति :– 1. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक:30.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 73/2017 सरकार बनाम कांतिलाल में निर्णय दिनांक 28.07.17 के तहत मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 1561 रकबा 1 बीघा गै.मु. श्मसान भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.03.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 05.04.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में लिखापढी दिनांक 24.10.09 की फोटोप्रति, लिखापढी दिनांक 25.09.09 की फोटोप्रति, एग्रीमेंट दिनांक 13.11.09 की फोटोप्रति, नगरपालिका द्वारा पटटा हेतु काटी गई रसीदो की फोटोप्रतियां, पटटा दिनांक 22.11.59 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 73/17 सरकार बनाम कांतिलाल की पत्रावली की फोटोप्रति, बिजली के बिल की फोटोप्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 1631/19 कांतिलाल बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 11.03.19 की फोटोप्रति तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण सं. 51/18 कांतिलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.01.19 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही अपीलांट द्वारा दिनांक 20.06.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद लंबित होने से प्रकरण हाजा की सुनवाई सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जाना चाहिये। जिसको प्रकरण के अंतिम बहस के साथ ही निस्तारण करने का विनिश्चिय दिनांक 18.07.19 को किया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि निर्णय जैर अपील दिनांक 28.07.17 की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलांट के बाडे पर दिनांक 12.03.18 को तहसीलदार मुण्डवा द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये काला चिन्ह मार्क करने आये तथा उनके साथ आये कर्मचारियो ने तोड फोड व धक्का धुम करनी शुरू कर दी, अपीलांट ने हाथ जोडकर उन्हे रूकने का निवेदन किया, तब तहसीलदार मुण्डवा द्वारा एलानिया धमकी दी गई कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हार निर्माण तोड देगे, नही तो चुपचाप यहां से भाग जाओ, तब सर्वप्रथम अपीलांट को यह जानकारी हुई कि अपीलांट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये दिनांक 28.07.17 को अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया, तब अपीलांट ने दिनांक 15.3.18 को तहसील कार्यालय मे नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त की एवं अविलंब न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक, युक्तियुक्त, सम्यक व आवश्यक कारणो से हुई देरी है, जो जानकारी के अभाव मे साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये जाने से हुई देरी है, जो क्षमा योग्य है। जिसे क्षमा कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार की जाने का निवेदन किया है। अपील पेश करने में हुए विलंब को कंडोन करते हुए अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद किये जाने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.19 की ओर हमारा ध्यान दिलाया तथा तर्क किया कि विवादित भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है तथा सिविल न्यायालय द्वारा

अपर कलक्टर, नागौर

प्रकरण मे स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसलिये सिविल न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक प्रकरण हाजा की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये।

{2}(II)–अपीलांट्स जगदीश व लीलाधर को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं एकतरफा रूप से अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय मे ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है। इस कारण से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि जिन व्यक्तियो के विरूद्व किसी प्रकार के आदेश व कार्यवाही की जाती है, उन्हे सुनवाई के लिये नोटिस जारी किये जावे, वर्तमान प्रकरण मे अपीलांट जगदीश व लीलाधर के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तो जारी किया, मगर उनकी तामील नही की गई, महज कांतिलाल की तामील को पर्याप्त मान अपीलांट जगदीश व लीलाधर के विरूद्व जो कार्यवाही की गई है, वह विधि की दृष्टि से गलत व त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपील के माध्यम से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान अंकित किये गये है कि प्रत्येक अतिक्रमी को अलग अलग नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, मगर वर्तमान प्रकरण मे तीनो अपीलांटस को एक ही नोटिस जारी कर दिया गया, जो अपीलांट कांतिलाल से ही मात्र तामील हुआ, अपीलांट जगदीश व लीलाधर को किसी प्रकार की नोटिस की व प्रकरण सं. 73/17 की कार्यवाही हाजा की जानकारी नही रही, ऐसी दशा मे मामला हाजा एकतरफा रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णी त करने मे कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट व मौके का नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया है, उसमे कही भी यह अंकन नही किया गया है कि कितने भू भाग पर अपीलांट ने अतिक्रमण किया है एवं न ही किस दिशा मे, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मे किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यंत ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योकि प्रकरण मे न तो अपीलांटस जगदीश व लीलाधर को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांट कांतिलाल ने उक्त भूमि जरिये लिखा पढी एग्रीमेंट टू सेल दिनांक 24.10.09, 25.09.09 व 13.11.09 के खरीद की है, जो विधिवत रूप से लिखित इकरारनामे के जरिये क्रय की थी एवं उसी समय अपना कब्जा प्रापत कर लिया था, अपीलांट ने उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करने के पश्चात विद्युत का कनेक्शन भी तत्कालीन समय मे प्राप्त कर लिया था, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट का कब्जा पुराने समय से चला आ रहा है एवं अपीलांट ने चारदीवारी भी बना रखी है। पुराना कब्जा होने के कारण अपीलांट को कृषि वर्ष 2074 के लिये अतिक्रमी घोषित कर कार्यवाही हाजा अमल मे लाना व निर्णय जैर अपील पारित किया जाना विधि विरूद्व है, इस कारण से भी निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–अपीलांट को खसरा नं. 1561 गै.मु. श्मशान पर अतिक्रमण के लिये नोटिस जारी किया गया था, मगर अपीलांट का बाडा श्मशान की भूमि पर नही बना हुआ है, अपीलांट का बाडा वार्ड नं. 15 जो कि आबादी की भूमि है, पर निर्मित है, इस कारण आबादी की भूमि पर तहसीलदार मुण्डवा को व राजस्व कर्मचारियो को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नही है। क्योकि राजस्व कर्मचारियो के द्वारा कार्यवाही केवल राजस्व भूमि पर ही की जा सकती है, आबादी की भूमि पर कार्यवाही करने की अधिकारिता स्थानीय निकाय को हासिल है, वर्तमान प्रकरण मे की गई कार्यवाही विधि विरूद्व व विधि वर्जित होने से भी निरस्तनीय हैं।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IX)–अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही दिनांक 13.07.17 को शुरू की गई थी व अगली ही पेशी पर दिनांक 28.07.17 को अपीलांट के विरूद्व आदेश भी पारित कर दिये गये थे, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जल्दबाजी मे तमाम कार्यवाही अमल मे लाई गई है। इस कारण से भी पोशीदा कार्यवाही होने से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(X)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व मे ही टाईप किया हुआ है, इससे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व मे ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड मे पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(XI)–प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट्स द्वारा मौजा मुण्डवा में स्थित श्मसान भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट कांतिलाल उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पूर्वजो के समय से कब्जा होने का कथन किया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपीलांट्स द्वारा आराजी भूमि के संबंध मे लिखापढी इकरारनामे के द्वारा वर्ष 2009 मे क्रय करना बताया गया है। जिसमे पूर्व दिशा मे आम रास्ता व श्मशान भूमि दर्शायी गई है। जिससे भी आराजी भूमि आबादी की नही होकर श्मशान भूमि होना ही प्रकट करती है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण मे आदेश दिनांक 03.01.19 मे प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं सम्यक तौर पर विधि की प्रक्रिया का पालन कर सक्षम आदेश पारित किये बगैर वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नही करने के आदेश पारित किये गये है। जिससे वर्तमान कार्यवाही पर कोई रोक नही है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। आराजी भूमि को लेकर वर्तमान कार्यवाही स्थगित की जाने को लेकर सिविल न्यायालय द्वारा कोई रोक लगायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार रेकर्ड पर नही है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नंबर 1561 रकबा 1 बीघा श्मसान भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट कांतिलाल ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी जवाबदेही भी प्रस्तुत की है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन श्मसान है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति पटटा दिनांक 22.11.56 एवं लिखापढी इकरारनामा के अनुसार भी कथित पटटे के पूर्व मे श्मशान भूमि को पडोस दर्शाया गया है। जिससे भी आराजी भूमि राजकीय श्मशान भूमि होना ही प्रकट करता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश की पालना करते समय माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के दीवानी विविध प्रकरण सं. 51/18 कांतिलाल बनाम राज. सरकार मे पारित आदेश दिनांक 03.01.19 एवं माननीय उच्च न्यायालय की एसबी सिविल रिट सं. 1631/2019 कांतिलाल बनाम राज. सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 11.03.19 के प्रकाश मे सभी दस्तावेज एवं प्रकरणो की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर लेते हुए यथोचित नियमानुसार कार्यवाही करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर